संख्या– 08 /38–6–2022–165एल0सी0/2020–टी0सी0–III

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिला कार्यक्रम समन्वयक/
जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

ग्राम्य विकास अनुभाग–6 लखनऊ : दिनांक : 06 जनवरी, 2022

विषयः मनरेगा योजनान्तर्गत श्रमिकों की मजदूरी भुगतान बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट (बी0सी0–सखी) के द्वारा कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

आप अवगत हैं कि मनरेगा योजनान्तर्गत जॉबकार्ड धारक श्रमिकों को उनकी मांग पर वर्ष में 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था है और इन श्रमिकों की मजदूरी का भुगतान भारत सरकार द्वारा सीधे मजदूरों के बैंक खाते में N-eFMS के माध्यम से किया जाता है। उल्लेखनीय है कि प्रदेश की समस्त ग्राम पंचायतों (58,189) में एक–एक बी0सी0–सखी तैनात किये जाने का निर्णय लिया गया है। इस निर्णय के परिप्रेक्ष्य में प्रदेश की लगभग 40,000 बी0सी0–सखी प्रशिक्षित व सर्टिफाईड की जा चुकी हैं।

2– विभिन्न योजनाओं में धनराशि बैंक खाते में अन्तरित किया जाता है। अन्तरित की जाने वाली धनराशि का आहरण गांव में बी0सी0–सखी के माध्यम से कराया जाना श्रेयस्कर होगा। इस कार्य से एक ओर मनरेगा श्रमिकों की मजदूरी का भुगतान कार्यस्थल/गांव में ही होगा, इससे मनरेगा योजनान्तर्गत कार्य करने वाले श्रमिकों को बैंक नहीं जाना पड़ेगा। जिससे बैंक जाने–आने पर होने वाला व्यय बचेगा और मजदूर को मजदूरी का नुकसान भी नहीं होगा। इस कार्यवाही से पारदर्शिता एवं जवाबदेही भी बढ़ेगी।

3– अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश की उन ग्राम पंचायतों, जिनमें बी0सी0–सखी कार्यशील हो गई हैं अथवा होंगी, में मनरेगा योजनान्तर्गत श्रमिकों की मजदूरी का भुगतान/आहरण ग्राम में ही बी0सी0–सखी के माध्यम से कराये जाने को प्रोत्साहित करने का कष्ट करें।

भवदीय,
Manoj 6.1.22
(मनोज कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव।

<u>संख्या व दिनांक तदैव।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. आयुक्त, ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. मिशन निदेशक, उ0प्र0राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, लखनऊ।
3. अपर आयुक्त (मनरेगा), ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. समस्त अपर जिला कार्यक्रम समन्वयक/मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त उपायुक्त(श्रम रोजगार) उत्तर प्रदेश।
6. समस्त उपायुक्त (स्वतः रोजगार) उत्तर प्रदेश।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
Manoj
(मनोज कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव।